न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–38 / 2017–18

राज्य बनाम शशि भूषण चौधरी

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
4.7.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 अंतर्गत प्रश्नगत वाद, अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पत्रांक–645 / उ0, दिनांक–18.05.2017 के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। अधिहरण प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि दिनांक–16.05.2017 को अलौली थाना तथा उत्पाद विभाग के संयुक्त छापामारी में अवैध विदेशी शराब एवं अवैध गांजा अभियुक्त श्री शशि भूषण चौधरी पिता–स्व० पृथ्वी चंद चौधरी, ग्राम–पड़री थाना–अलौली के घर से बरामद किया गया था। अधिहरण प्रस्ताव में यह भी अंकित है कि अभियुक्त शशि भूषण चौधरी के घर को सील बन्द कर दिया गया है तथा इसका विडियोग्राफी भी कराई गई है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–30(ए) के अन्तर्गत गिरफ्तारी, जप्ती या तलाशी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन जप्ती का विवरण स्पष्ट है, जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को संपुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत् हैं :– जप्ती सूची के अनुसार घर में अवैध रूप से उजला रंग के प्लास्टिक के बोरा में 8.400 कि0ग्रा0 अवैध गांजा एवं उजला रंग का प्लास्टिक के एक अन्य बोरा में 750 एम0एल0 वाले अवैध विदेशी शराब का 05 (पॉच) बोतल जिस पर रॉयल स्टेग कम्पनी लिखा हुआ बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। साथ ही दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' के दिनांक–10.06.2017 एवं प्रभात खबर दिनांक–11.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित सूचना के द्वारा मकान के स्वामी शशि भूषण चौधरी को निर्धारित तिथि दिनांक–13.06.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित किया गया। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु वे जानबूझ कर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर तथा न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है। उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया के संलग्न अधिहरण प्रस्ताव, उत्पाद निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है	

कि प्रश्नगत मकान/भूखण्ड का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जो उत्पाद अधीक्षक द्वारा सील बन्द किया हुआ है, तथा जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है–उत्तर–वरामदा के बाद किराना दुकान, दक्षिण–सीढी बाद हिस्सेदार सन्नी वो सूरज पे0–मकेश्वर का मकान, पूरब–चापाकल, शौचालय के बाद धनश्याम वो राधे–श्याम पे0 ललितेश्वर का मकान, पश्चिम–लखेंन्द्र चौधरी का मकान को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला घर किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे सील बन्द मकान का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।